न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 44 / 2024(GCMS 2024/165)
(आरटीआई संख्या 212143648178095)

श्री कृष्णलाल पुत्र श्री कर्मचन्द हाउस नं. 4368, गुरुनानक वाड़ा, खालसा कॉलेज, अमृतसर, पंजाब पिन कोड़ – 143002

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्ण लाल स्वयं उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कृष्ण लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.07.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

Please give me full certified copy of Registered, Register Scheduled Cast Certificate issued by Divisional Magistrate, Sriganganagar (Raj.) From date 20.01.1963 to 31.12.1967

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूचना का अधिकार / 2024 / 105 दिनांक 05.09.2024 अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी श्री कृष्णलाल द्वारा सूचना के अधिकारी के तहत दिनांक 20.01.1963 से दिनांक 31.12.1967 तक अनूसुचित जाति प्रमाण पत्र के रजिस्टर की प्रति चाही गई है, श्रीमान जी सूचना का अधिकार आवेदन इस कार्यालय को दिनांक 03.06.2024 को प्राप्त हुआ, श्रीमान जी निवेदन है कि संबंधित कर्मचारी द्वारा रिकॉर्ड की तलाश की गई, परन्तु रिकॉर्ड संबंधित कर्मचारी को नहीं मिला।

श्रीमान जी निवेदन है कि उसके उपरान्त अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सम्बन्धित रिकॉर्ड की तलाश के लिए कमेटी का गठन किया गया, कमेटी की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त रिकॉर्ड अत्यधिक पुराना (लगभग 60 वर्ष) होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं मिला है।

सूचना आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अध्किारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 105 दिनांक 05.09.2024 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस **पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध** [illegible] प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई [illegible] बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:01 IST
Reason: SelfAttested

Pa-1/4
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आवेदक **को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधि्कारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधि्कारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:01 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर